

न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल, जिला–बैतूल (म.प्र.)

–:: विविध आदेश ::–

(नवीन आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष–2024)

क्रमांक—..... / सी.जे.एम. / 2024

बैतूल, दिनांक— 08–04–2024

मैं श्रीमती संगीता भारती राठौर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.), माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक 8565/तीन–2–3/74 दिनांक 12.03.1977 के निर्देशानुसार तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के स्थानातंरण एवं नवीन पदस्थापना होने से, पूर्व में प्रसारित आदेशों को अतिष्ठित (सुपरसीड) करते हुये, इस न्यायिक जिला मुख्यालय बैतूल एवं तहसील मुख्यालय आमला, मुलताई, भैंसदेही में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य आपराधिक कार्य विभाजन कर, क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएँ निश्चित करती हूँ जो कि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदन किये जाने के उपरांत से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा:—

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र/प्रकरण का स्वरूप व क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती संगीता भारती राठौर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल	<ol style="list-style-type: none"> आरक्षी केन्द्र—कोतवाली बैतूल, गंज बैतूल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं खात्मा तथा एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अल्प मात्रा के मादक पदार्थ से संबंधित प्रकरण (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं हैं) के प्रकरण। सम्पूर्ण बैतूल जिले के आरक्षी केन्द्रों से सम्बन्धित अपराधों की खारजा प्रतिवेदन। आरक्षी केन्द्र कोतवाली बैतूल, गंज बैतूल एवं आबकारी वृत बैतूल एवं सारणी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम के प्रकरण। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को छोड़कर जिले के सभी मजिस्ट्रेटों द्वारा धारा 195 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। सम्पूर्ण बैतूल जिले के बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, श्रम विधि (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 2002, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। आर.टी.ओ. बैतूल/यातायात विभाग बैतूल द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अभियोग—पत्र एवं परिवाद—पत्र।

		<p>7. मुख्यालय बैतूल के क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र.सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 से सम्बन्धित प्रकरण।</p> <p>8. सम्पूर्ण बैतूल जिले से उत्पन्न होने वाले नगरपालिका अधिनियम, नापतौल अधिनियम, दुकान एवं संस्थान अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम के प्रकरण।</p> <p>9. ऐसे समस्त प्रकरण, जिनका उल्लेख इस आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है।</p>
2	श्री सुरेश यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	<p>1. आरक्षी केन्द्र—शाहपुर, जी.आर.पी. आमला के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवाद—पत्र एवं खात्मा तथा एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अल्प मात्रा के मादक पदार्थ से संबंधित प्रकरण (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है) के प्रकरण।</p> <p>2. आरक्षी केन्द्र—शाहपुर, जी.आर.पी. आमला के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम से उद्भूत समस्त प्रकरण तथा धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद—पत्र।</p> <p>3. मुख्यालय बैतूल के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न वन विधि, पर्यावरण विधि एवं उत्खनन विधि तथा वाईल्ड लाईफ के अपराधों से सबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।</p> <p>4. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p>
3	श्रीमती पूजा सिंह मौर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
4	सुश्री अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	<p>1. आरक्षी केन्द्र—सारणी, चोपना के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवाद—पत्र एवं खात्मा तथा एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अल्प मात्रा के मादक पदार्थ से संबंधित प्रकरण (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है) के प्रकरण।</p> <p>2. आरक्षी केन्द्र—सारणी, चोपना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम से उद्भूत समस्त प्रकरण तथा धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद—पत्र।</p> <p>3. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।</p>
5	श्री अरूण सिंह अलावा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	<p>1. आरक्षी केन्द्र—बैतूल बाजार, महिला थाना बैतूल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवाद—पत्र एवं खात्मा तथा एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अल्प मात्रा के मादक पदार्थ से संबंधित प्रकरण (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है) के प्रकरण।</p> <p>2. आरक्षी केन्द्र—बैतूल बाजार, महिला थाना बैतूल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम से उद्भूत समस्त प्रकरण तथा धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद—पत्र।</p>

		<p>3. तहसील मुख्यालय बैतूल के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध अपराधों (जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रकरण भी शामिल है) के सबंध में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बैतूल के क्षेत्राधिकार के समस्त उद्भूत प्रकरण।</p> <p>4. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p>
6	श्री शुभम नीमा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	<p>1. आरक्षी केन्द्र—रानीपुर, बीजादेही के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवाद—पत्र एवं खात्मा तथा एन.डी.पी.एस. एकट 1985 के अल्प मात्रा के मादक पदार्थ से संबंधित प्रकरण (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है) के प्रकरण।</p> <p>2. आरक्षी केन्द्र—रानीपुर, बीजादेही के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम से उद्भूत समस्त प्रकरण तथा धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद—पत्र।</p> <p>3. आरक्षी केन्द्र—गंज बैतूल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले भारतीय दण्ड विधान के परिवाद—पत्र तथा धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम।</p> <p>4. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p>
7	सुश्री ऋतु प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	<p>1. आरक्षी केन्द्र—चिचोली के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवाद—पत्र एवं खात्मा तथा एन.डी.पी.एस. एकट 1985 के अल्प मात्रा के मादक पदार्थ से संबंधित प्रकरण (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है) के प्रकरण।</p> <p>2. आरक्षी केन्द्र—चिचोली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम से उद्भूत समस्त प्रकरण तथा धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद—पत्र।</p> <p>3. आरक्षी केन्द्र—कोतवाली बैतूल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले भारतीय दण्ड विधान के परिवाद—पत्र तथा धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम।</p> <p>4. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p>
8	श्री दिनेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई, जिला—बैतूल	<p>1. आरक्षी केन्द्र—मुलताई के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवाद—पत्र एवं खात्मा तथा एन.डी.पी.एस. एकट 1985 के अल्प मात्रा के मादक पदार्थ से संबंधित प्रकरण (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है) के प्रकरण।</p> <p>2. तहसील मुख्यालय—मुलताई क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र.सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 से सम्बन्धित प्रकरण।</p> <p>3. आरक्षी केन्द्र—मुलताई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम से उद्भूत समस्त प्रकरण तथा धारा</p>

		<p>138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद—पत्र।</p> <p>4. तहसील मुख्यालय मुलताई के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न वन विधि, पर्यावरण विधि एवं उत्खनन विधि तथा वाईल्ड लाईफ के अपराधों से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।</p> <p>5. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।</p>
9	सुश्री नीलम खटाना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई, जिला—बैतूल	<p>1. आरक्षी केन्द्र—साईखेड़ा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवाद—पत्र एवं खात्मा तथा एन.डी.पी.एस. एकट 1985 के अल्प मात्रा के मादक पदार्थ से संबंधित प्रकरण (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है) के प्रकरण।</p> <p>2. आरक्षी केन्द्र—साईखेड़ा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, म.प्र. आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित से उद्भूत समस्त प्रकरण तथा धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद—पत्र।</p> <p>3. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।</p>
10	सुश्री श्वेता गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई, जिला—बैतूल	<p>1. तहसील मुख्यालय मुलताई के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध अपराधों (जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भी शामिल है) के संबंध में न्यायिक दण्डाधिकारी मुलताई के क्षेत्राधिकार के समस्त उद्भूत प्रकरण।</p> <p>2. आरक्षी केन्द्र—मुलताई, साईखेड़ा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले भरण पोषण/धारा 125, 127 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>3. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p>
11	श्री राकेश सनोड़िया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला, जिला—बैतूल	<p>1. आरक्षी केन्द्र—आमला के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवाद—पत्र एवं खात्मा तथा एन.डी.पी.एस. एकट 1985 के अल्प मात्रा के मादक पदार्थ से संबंधित प्रकरण (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है) के प्रकरण।</p> <p>2. आरक्षी केन्द्र—आमला के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण तथा धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद—पत्र।</p> <p>3. तहसील मुख्यालय, आमला के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध अपराधों (जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भी शामिल है) के संबंध में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी आमला के क्षेत्राधिकार के समस्त उद्भूत प्रकरण।</p> <p>4. आरक्षी केन्द्र—आमला, बोरदेही के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले भरण पोषण/धारा 125 व 127 दंप्रसं., से सम्बन्धित</p>

		<p>प्रकरण ।</p> <p>5. तहसील मुख्यालय आमला क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, म.प्र.सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 से संबंधित प्रकरण ।</p> <p>6. तहसील मुख्यालय आमला के अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले वन विधि, पर्यावरण विधि, उत्खनन विधि तथा वाईल्ड लाईफ के अपराधों से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण ।</p> <p>7. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण ।</p>
12	श्री राहुल निरंकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला, जिला—बैतूल	<p>1. आरक्षी केन्द्र—बोरदेही के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवाद—पत्र एवं खात्मा तथा एन.डी.पी.एस. एकट 1985 के अल्प मात्रा के मादक पदार्थ से संबंधित प्रकरण (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है) के प्रकरण ।</p> <p>2. आरक्षी केन्द्र—बोरदेही के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण तथा धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के तहत परिवाद—पत्र ।</p> <p>3. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण ।</p>
13	सुश्री उषा उर्झके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भैसदेही, जिला—बैतूल	<p>1. आरक्षी केन्द्र—भैसदेही, आठनेर, मोहदा एवं झल्लार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवाद—पत्र एवं खात्मा तथा एन.डी.पी.एस. एकट 1985 के अल्प मात्रा के मादक पदार्थ से संबंधित प्रकरण (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है) के प्रकरण ।</p> <p>2. आरक्षी केन्द्र—भैसदेही, आठनेर, मोहदा एवं झल्लार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण तथा धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के तहत परिवाद—पत्र ।</p> <p>3. तहसील मुख्यालय भैसदेही के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध अपराधों (जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भी शामिल है) के संबंध में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी भैसदेही के क्षेत्राधिकार के समस्त उद्भूत प्रकरण ।</p> <p>4. आरक्षी केन्द्र—भैसदेही, झल्लार, आठनेर, मोहदा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले भरण पोषण/धारा 125 व 127 दं. प्र.सं., से सम्बन्धित प्रकरण ।</p> <p>5. तहसील—भैसदेही तथा झल्लार क्षेत्र एवं आरक्षी केन्द्र चिंचोली की चौकी भीमपुर जो तहसील भैसदेही के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र.सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 से सम्बन्धित प्रकरण ।</p> <p>6. तहसील मुख्यालय भैसदेही के अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले वन विधि, पर्यावरण विधि, उत्खनन विधि तथा वाईल्ड लाईफ के अपराधों से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त</p>

		<p>प्रकरण ।</p> <p>7. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण ।</p>
--	--	--

नोट :-

1. बैतूल जिले में पदस्थ सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बैतूल से अनुमति प्राप्त कर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल को सूचना देकर प्रत्येक माह में अपने न्यायालय का न्यायिक कार्य प्रभावित किये बिना चलित न्यायालय लगा सकेंगे ।
2. इस कार्य विभाजन पत्रक का प्रभाव उन प्रकरणों, परिवाद—पत्र, विविध प्रकरण व आवेदनों पर नहीं पड़ेगा, जो सम्बन्धित न्यायालय मे पूर्व से लम्बित हैं एवं जिनका निराकरण करने के लिये वह न्यायालय सक्षम हैं ।
3. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय से प्रस्थान नहीं करेंगे तथा प्रस्थान करने के तीन दिवस पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को भी देंगे ।
4. द.प्र.सं. की धारा 176 (1-क) के अन्तर्गत मृत्यु के कारण की जांच जिस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर या जिसके द्वारा प्राधिकृत अभिरक्षा में अपराध किया गया है या जिसको इस हेतु अधिकृत किया जाता है, उस मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जावेगी ।
5. परिशिष्ट—“अ”, परिशिष्ट—“ब”, परिशिष्ट—“स”, परिशिष्ट—“द” इस आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक के अंग समझे जावेगे ।
6. किसी भी मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने या किसी कर्तव्य में व्यस्त रहने की दशा में उनके क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले अत्यावश्यक प्रकृति के आपराधिक प्रकरण परिशिष्ट—“अ” में उनके नाम से अगले क्रम में दर्शाये गये मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे और वे उन्हें अपने न्यायालय में पंजीबद्ध करके उनका विधि अनुसार निराकरण कर सकेंगे ।
7. रिक्त न्यायालयों के सम्बन्ध में ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त हैं, के माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले निर्देशों का पालन, अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में सजा वारण्ट व जेल वारण्ट का बनाया जाना इत्यादि सभी सम्बन्धित कार्य एवं उनके न्यायालयों के द्वारा पारित धारा 125, 127 एवं 128 द.प्र.सं. के आदेशों के तहत जमा की जाने वाली राशि एवं वापसी से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही एवं आवश्यक कार्यों का विचारण जिला मुख्यालय बैतूल पर श्री सुरेश यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील न्यायालय मुलताई पर श्री दिनेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील न्यायालय भैसदेही पर सुश्री उषा उर्झके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तथा तहसील न्यायालय आमला पर श्री राकेश सनोडिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करेंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट—“अ” में दर्शाये गये उनके प्रभार अनुसार करेंगे ।
8. रिक्त न्यायालयों के सम्बन्ध में ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त हैं, उनके द्वारा जारी किये गये स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट का निराकरण वर्तमान कार्य विभाजन पत्रकानुसार आरक्षी केन्द्र से संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा किया जावेगा ।
9. भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23-12-2022 के अनुसार स्वापक औषधि

अधिनियम 1985 के अंतर्गत धारा—52'ए' एन.डी. पी.एस. एक्ट की सेंपलिंग कार्यवाही बावत् आवेदन पत्रों का निराकरण संबंधित आरक्षी केन्द्रो के क्षेत्राधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा एवं आरक्षी केन्द्र—कोतवाली बैतूल, गंज बैतूल के श्री शुभम नीमा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल द्वारा संपादित की जावेगी तथा उनकी अनुपस्थिति में वर्तमान कार्यविभाजन पत्रक परिशिष्ट—“अ में दर्शाये गये उनके प्रभार अनुसार करेंगे।

—:: सामान्य निर्देश ::—

1. न्यायिक कार्य करते समय मजिस्ट्रेट इस तथ्य को विशेष ध्यान में रखेंगे कि उनके द्वारा उन्हें कॉलम नंबर—03(आरक्षी केन्द्र/प्रकरण का स्वरूप व क्षेत्राधिकार)में प्रदत्त क्षेत्राधिकारिता के अनुरूप ऐसे प्रकरणों को छोड़कर ही न्यायिक कार्य किया जावे, जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार विशेष न्यायालय को है या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल को है एवं कार्य विभाजन पत्रक में क्षेत्राधिकारिता से सम्बन्धित कोई भ्रम की स्थिति निर्मित होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल द्वारा दिया गया निर्देश अंतिम होगा।
2. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने पर या पद रिक्त होने पर या किसी कार्य में व्यस्त रहने की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत स्वीकृति से सम्बन्धित समरी प्रकरणों का निराकरण उनके न्यायालय के प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत किया जाएगा।
3. यदि कोई मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते हैं या स्थानांतरण हो जाने के कारण या अन्य किसी कारण से उनका पद रिक्त रहता है, तो ऐसी स्थिति में कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत निर्दिष्ट किये गये मजिस्ट्रेट का नाम स्वतः ही पदस्थापित माना जायेगा।

(श्रीमती संगीता भारती राठौर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल

—:: परिशिष्ट — 'अ' ::—

इस सारणी में बताये गये पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर रहने या अनुपस्थिति की दशा में उनके नामों के समक्ष (क्रम में) दर्शाये गये मजिस्ट्रेट कार्य करेंगे :—

अनु. क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	कॉलम नं.—02 के मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.—02 व 03 के मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.—02, 03 व 04 के मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	श्रीमती संगीता भारती राठौर C.J.M., Betul	श्री सुरेश यादव J.M.F.C., Betul	श्रीमती अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी J.M.F.C., Betul	श्री शुभम नीमा J.M.F.C., Betul
2	श्री सुरेश यादव J.M.F.C., Betul	श्रीमती अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी J.M.F.C., Betul	श्री अरुण सिंह अलावा J.M.F.C., Betul	श्रीमती पूजा सिंह मौर्य J.M.F.C., Betul
3	श्रीमती पूजा सिंह मौर्य J.M.F.C., Betul	श्री अरुण सिंह अलावा J.M.F.C., Betul	श्रीमती अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी J.M.F.C., Betul	सुश्री ऋतु प्रजापति J.M.F.C., Betul
4	श्रीमती अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी J.M.F.C., Betul	श्रीमती पूजा सिंह मौर्य J.M.F.C., Betul	श्री शुभम नीमा, J.M.F.C., Betul	श्री अरुण सिंह अलावा J.M.F.C., Betul
5	श्री अरुण सिंह अलावा J.M.F.C., Betul	सुश्री ऋतु प्रजापति J.M.F.C., Betul	श्री शुभम नीमा J.M.F.C., Betul	श्री सुरेश यादव J.M.F.C., Betul
6	श्री शुभम नीमा J.M.F.C., Betul	श्रीमती अन्ना ग्लोरी	सुश्री ऋतु प्रजापति J.M.F.C., Betul	श्री अरुण सिंह अलावा J.M.F.C., Betul

		माहेश्वरी J.M.F.C., Betul		
7	श्री दिनेश मीणा, J.M.F.C., Multai	सुश्री नीलम खटाना, J.M.F.C., Multai	सुश्री श्वेता गौतम, J.M.F.C., Multai	श्री राकेश सनोडिया J.M.F.C., Amla
8	सुश्री नीलम खटाना, J.M.F.C., Multai	सुश्री श्वेता गौतम, J.M.F.C., Multai	श्री दिनेश मीणा J.M.F.C., Multai	श्री राहुल निरंकारी J.M.F.C., Amla
9	सुश्री श्वेता गौतम, J.M.F.C., Multai	सुश्री नीलम खटाना, J.M.F.C., Multai	श्री दिनेश मीणा, J.M.F.C., Multai	श्री राकेश सनोडिया J.M.F.C., Amla
10	सुश्री उषा उईके J.M.F.C., Bhaisdehi	श्रीमती पूजा सिंह मौर्य J.M.F.C., Betul	श्री अरुण सिंह अलावा J.M.F.C., Betul	श्रीमती अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी J.M.F.C., Betul
11	श्री राकेश सनोडिया J.M.F.C., Amla	श्री राहुल निरंकारी, J.M.F.C., Amla	सुश्री श्वेता गौतम, J.M.F.C., Multai	सुश्री नीलम खटाना, J.M.F.C., Multai
12	श्री राहुल निरंकारी J.M.F.C., Amla	श्री राकेश सनोडिया J.M.F.C., Amla	सुश्री नीलम खटाना, J.M.F.C., Multai	सुश्री श्वेता गौतम, J.M.F.C., Multai

- नोट:-** 1. उपरोक्त कॉलम नम्बर-03, 04 व 05 नामांकित मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कॉलम न0-02 में दर्शित मजिस्ट्रेट के न्यायालय का आवश्यक आपराधिक कार्य **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जायेगा।**
2. प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड के अवकाश पर रहने पर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा तथा किन्हीं कारण वश उनके भी अनुपस्थित रहने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।

(श्रीमती संगीता भारती राठौर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल

-:: परिशिष्ट - 'ब' ::-

इस सारणी में बताये गये पदस्थ क्रमांक-02 के मजिस्ट्रेट से संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा 164 दंप्रसं. के आवेदन-पत्रों का निराकरण एवं कथनों का अभिलेखन कॉलम नम्बर-03 में दर्शाए गये न्यायिक मजिस्ट्रेट, तथा कॉलम नम्बर-3 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कॉलम नम्बर-4 में दर्शाए गये न्यायिक मजिस्ट्रेट, और कॉलम नम्बर-4 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कॉलम नम्बर-5 में दर्शाए गये न्यायिक मजिस्ट्रेट, और कॉलम नम्बर-5 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में बैतूल मुख्यालय पर उपस्थित रहे वरिष्ठ मजिस्ट्रेट (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर) द्वारा किया जायेगा।

अनु. क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	कॉलम नं.-02 के मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.-02 व 03 के मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.-02, 03 व 04 के मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	श्रीमती संगीता भारती राठौर C.J.M., Betul	सुश्री अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी J.M.F.C., Betul	श्री अरुण सिंह अलावा J.M.F.C., Betul	श्री शुभम नीमा J.M.F.C., Betul
2	श्री सुरेश यादव J.M.F.C., Betul	श्री शुभम नीमा J.M.F.C., Betul	श्रीमती पूजा सिंह मौर्य J.M.F.C., Betul	सुश्री ऋतु प्रजापति, J.M.F.C., Betul
3	श्रीमती अन्ना ग्लोरी	सुश्री ऋतु प्रजापति,	श्रीमती पूजा सिंह मौर्य	श्री अरुण सिंह अलावा

	माहेश्वरी J.M.F.C., Betul	J.M.F.C., Betul	J.M.F.C., Betul	J.M.F.C., Betul
5	श्री अरुण सिंह अलावा J.M.F.C., Betul	श्रीमती पूजा सिंह मौर्य J.M.F.C., Betul	श्री शुभम नीमा J.M.F.C., Betul	श्री सुरेश यादव J.M.F.C., Betul
6	श्री शुभम नीमा J.M.F.C., Betul	श्री अरुण सिंह अलावा J.M.F.C., Betul	श्रीमती अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी J.M.F.C., Betul	सुश्री ऋतु प्रजापति J.M.F.C., Betul
7	सुश्री ऋतु प्रजापति J.M.F.C., Betul	श्रीमती पूजा सिंह मौर्य J.M.F.C., Betul	श्रीमती अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी J.M.F.C., Betul	श्री शुभम नीमा J.M.F.C., Betul
8	श्री दिनेश मीणा J.M.F.C., Multai	सुश्री नीलम खटाना, J.M.F.C., Multai	श्रीमती श्वेता गौतम J.M.F.C., Multai	श्री राहुल निरंकारी J.M.F.C., Amla
9	सुश्री नीलम खटाना, J.M.F.C., Multai	श्रीमती श्वेता गौतम J.M.F.C., Multai	श्री दिनेश मीणा J.M.F.C., Multai	श्री राकेश सनोडिया J.M.F.C., Amla
10	श्रीमती श्वेता गौतम J.M.F.C., Multai	सुश्री नीलम खटाना, J.M.F.C., Multai	श्री दिनेश मीणा J.M.F.C., Multai	श्री राहुल निरंकारी J.M.F.C., Amla
11	सुश्री उषा उर्झके J.M.F.C., Bhaisdehi	श्रीमती पूजा सिंह मौर्य J.M.F.C., Betul	श्री शुभम नीमा J.M.F.C., Betul	श्री अरुण सिंह अलावा J.M.F.C., Betul
12	श्री राकेश सनोडिया J.M.F.C., Amla	श्री राहुल निरंकारी J.M.F.C., Amla	श्रीमती श्वेता गौतम J.M.F.C., Multai	सुश्री नीलम खटाना, J.M.F.C., Multai
13	श्री राहुल निरंकारी J.M.F.C., Amla	श्री राकेश सनोडिया J.M.F.C., Amla	सुश्री नीलम खटाना, J.M.F.C., Multai	श्रीमती श्वेता गौतम J.M.F.C., Multai

नोट:-1. सम्पूर्ण बैतूल जिले के आरक्षी केन्द्रो से उत्पन्न होने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत धारा 164 द.प्र.सं. के तहत कथन, श्रीमती अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, बैतूल द्वारा लिपिबद्ध किये जायेगे एवं उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट “ब” के अनुसार कार्य किया जावेगा।

2. पॉस्को एकट से उत्पन्न धारा-164 द.प्र.सं. के कथन जिला-मुख्यालय बैतूल पर सुश्री ऋतु प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा एवं तहसील मुख्यालय-मुलताई पर सुश्री नीलम खटाना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा, तहसील मुख्यालय भैसदेही के सुश्री उषा उर्झके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा तथा तहसील मुख्यालय आमला के सुश्री श्वेता गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई द्वारा लिपिबद्ध किये जायेगे एवं उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट “ब” के अनुसार कार्य किया जावेगा।

(श्रीमती संगीता भारती राठौर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल

-:: परिशिष्ट - 'स' ::-

धारा 164 द.प्र.सं. के अधीन संस्वीकृतियों जहां-जहां शब्द “अभियोकित्री/पीड़िता (महिला उत्पीड़न से संबंधित) के कथन अंकित किए जाने हेतु निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है :-

क्रमांक	न्यायिक अधिकारियों के नाम	आरक्षी केन्द्र
1.	श्रीमती पूजा सिंह मौर्य, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल	1. आरक्षी केन्द्र- जी.आर.पी. आमला 2. आरक्षी केन्द्र- बीजादेही 3. आरक्षी केन्द्र- चोपना 4. आरक्षी केन्द्र- शाहपुर
2.	सुश्री अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	1 आरक्षी केन्द्र- कोतवाली बैतूल 2. आरक्षी केन्द्र- रानीपुर 3. आरक्षी केन्द्र- चिचोली

3.	सुश्री ऋतु प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	1. आरक्षी केन्द्र- बैतूल-बाजार 2. आरक्षी केन्द्र- महिला थाना बैतूल 3. आरक्षी केन्द्र- सारणी 4. आरक्षी केन्द्र- गंज बैतूल
4.	सुश्री नीलम खटाना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई	1. आरक्षी केन्द्र- सार्झेड़ा 2. आरक्षी केन्द्र- बोरदेही
5.	सुश्री श्वेता गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई	1. आरक्षी केन्द्र- मुलताई 2. आरक्षी केन्द्र- आमला
6.	सुश्री उषा उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भैसदेही	1. आरक्षी केन्द्र- आठनेर 2. आरक्षी केन्द्र- मोहदा 3. आरक्षी केन्द्र- झल्लार 4. आरक्षी केन्द्र- भैसदेही

—:: परिशिष्ट — 'द' ::—

इस सारणी में जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालयों में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर रहने या अनुपस्थिति की दशा में —:: परिशिष्ट — 'स' ::— के अनुसार कार्य के संपादन हेतु उनके नामों के समक्ष (क्रम में) मजिस्ट्रेट कार्य करेंगे –

अनु. क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	कॉलम नं.-02 के मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.-02 व 03 के मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.-02, 03 व 04 के मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	श्रीमती पूजा सिंह मौर्य J.M.F.C., Betul	सुश्री ऋतु प्रजापति, J.M.F.C., Betul	सुश्री अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी J.M.F.C., Betul	सुश्री श्वेता गौतम J.M.F.C., Multai
2.	सुश्री अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी J.M.F.C., Betul	श्रीमती पूजा सिंह मौर्य J.M.F.C., Betul	सुश्री ऋतु प्रजापति, J.M.F.C., Betul	सुश्री नीलम खटाना, J.M.F.C., Multai
3.	सुश्री ऋतु प्रजापति, J.M.F.C., Betul	श्रीमती अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी J.M.F.C., Betul	श्रीमती पूजा सिंह मौर्य J.M.F.C., Betul	सुश्री श्वेता गौतम J.M.F.C., Multai
4.	सुश्री नीलम खटाना, J.M.F.C., Multai	सुश्री श्वेता गौतम, J.M.F.C., Multai	श्रीमती पूजा सिंह मौर्य J.M.F.C., Betul	सुश्री ऋतु प्रजापति J.M.F.C., Betul
5.	सुश्री श्वेता गौतम J.M.F.C., Multai	सुश्री नीलम खटाना, J.M.F.C., Multai	सुश्री ऋतु प्रजापति J.M.F.C., Betul	सुश्री अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी J.M.F.C., Betul
6.	सुश्री उषा उईके J.M.F.C., Bhainsdehi	सुश्री ऋतु प्रजापति J.M.F.C., Betul	सुश्री अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी J.M.F.C., Betul	श्रीमती पूजा सिंह मौर्य J.M.F.C., Betul

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बैतूल की ओर उक्त आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक अनुमोदन हेतु सादर प्रेषित है।

(श्रीमती संगीता भारती राठौर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल
जिला-बैतूल म0प्र0